

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/5/24

पत्रावली पैरा। वकील पक्षकारान द्वारा
बहुस के दौरान पुरखुत तर्कों पर मन्त्र
किया। वकील पार्थीगण ने कचन किया
की अपार्थीगण द्वारा ख०स० २५२ ग०मु०
नाला को भरकर अपनी स्वातदारी भूमि
ख०स० २५३ में मिला लिया है, जिससे
पार्थीगण की भूमि का स्वरूप नष्ट होने
की उबल सम्भावना है। इनको पाबन्द किया
जावे। वकील अपार्थी ने कचन किया की
दुम दुमारी स्वातदारी भूमि की सीमा तक
कानिप्त है और नाले का स्वरूप नष्ट करने पर
आमादा है। ग०मु० नाले का स्वरूप नष्ट
नहीं करे, दुमे कोई आपत्ति नहीं है, दुम दुमारी
दूर तक पाबन्द रहेंगे।

अतः अपार्थीगण को राफैसला वाद
अरचाई निषेधात्ता से पाबन्द किया जाता है कि
पार्थीगण की स्वातदारी भूमि ख०स० २५१/५८५
ग्राम बंधा का खेता प०स० खेरखरा के किसी
भी न्यू-भाग पर दखलंदाजी नही करे। एवं
उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि
ख०स० २५२ ग०मु० नाला की वर्तमान स्थिति में कोई
अवरोध व परिवर्तन राफैसला वाद नही करे।

पत्रावली फैसल नुमार की जाकर वाद
तकमील नम्बर से कम होकर मूल वाद
के साथ सलमन रहे। निर्णय से इत्फलास
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बन्दी)

1. मोहन आयु ६
बन्दी
2. सीता आयु
किशनपुरा (न)
3. छोटी आयु
नीन्ता तहसी

कालूल
शिव २
भूरी १
भंजन